भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 12

सोमवार, 03 फरवरी, 2025 / 14 माघ, 1946 (शक)

पीएम-एसवाईएम योजना की स्थिति

12. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:
श्री नवसकनी के.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के लिए निर्धारित मूल नामांकन-लक्ष्यों तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उक्त योजना में अपनाई गई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) असंगठित क्षेत्र में पात्र श्रमिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों या सामुदायिक संगठनों के साथ भागीदारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न आयु-समूहों के लिए पीएम-एसवाईएम योजना के तहत लाभार्थियों से अपेक्षित मासिक या वार्षिक अंशदान राशि का ब्यौरा क्या है;

(ड.) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत अब तक पेंशन लाभ के रूप में वितरित की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के बीच कम नामांकन और अनियमित अंशदान के मुद्दे का समाधान सरकार किए प्रकार कर रही है;

(छ) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत महिला लाभार्थियों के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या महिला श्रमिकों और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को योजना में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ज): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान कराने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना को फरवरी, 2019 में आरंभ किया गया था। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, असंगठित कामगारों को 3000/- रु. की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त-पोषित) के सदस्य नहीं हैं और न ही

जारी..2/-

आयकरदाता हैं, इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर लाभार्थी द्वारा 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह तक मासिक अंशदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। योजना में नामांकन सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है, जिनका देशभर में 4 लाख से अधिक केन्द्रों का नेटवर्क है। इसके अलावा, पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्वयं नामांकन भी कर सकते हैं।

चूंकि लाभार्थियों को पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शुरू होती है, इसलिए पेंशन का वितरण वर्ष 2039 से शुरू होगा।

पीएम-एसवाईएम योजना के तहत महिला लाभार्थियों का नामांकन लगभग 53 प्रतिशत है।

नामांकन और अनियमित अंशदान के मामले का समाधान करने के लिए सरकार ने *अन्य बातों के साथ साथ* निष्क्रिय खातों को पुनर्जीवित करने की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने की अनुमति दी है, नियोक्ता को पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के तहत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने और नामांकन बढ़ाने के लिए डोनेट-ए-पेंशन मॉड्यूल लॉन्च किया है।

सरकार ने पीएम-एसवाईएम योजना में अधिक असंगठित कामगारों को पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करना।
(ii) राज्यों के सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के प्रमुखों के साथ नियमित बैठक।
(iii) स्वैच्छिक निकासी, पुनरुद्धार (रीवाइवल) मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई विशेषताओं की शुरुआत।
(iv) पीएम-एसवाईएम और ईश्रम का दो-तरफा एकीकरण।
(v) जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।
(vi) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के संबंध में पत्र-व्यवहार।
(vii) पेंशन योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के साथ बात-चीत।

*****